दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 09-07-2025

# छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने लगी याचिका हाई कोर्ट से खारिज

## याचिका में भांग की खेती को प्रोत्साहित करने निर्देश देने की गई थी मांग, सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा- नीति निर्धारण कोर्ट का क्षेत्र नहीं

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने प्रदेश में उद्योग के तौर पर भांग की खेती को वैध घोषित करने की मांग करते हुए लगाई गई जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में भांग को "गोल्डन प्लांट" बताते हुए इसके औद्योगिक, औषधीय और आर्थिक उपयोग की वकालत की गई थी। राज्य स्तरीय बोर्ड बनाकर खेती की अनुमति देने की मांग की गई थी। साथ ही दावा किया गया कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा। हालांकि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि नीति निर्धारित करना कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है।

बिलासपुर के तिलक नगर निवासी डॉ. सचिन काले ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी, इसमें प्राचीन ग्रंथों, ब्रिटिश कालीन आयोग की रिपोर्ट और केंद्र की कुछ नीतियों का उल्लेख करते हुए भांग को भारतीय संस्कृति और चिकित्सा में महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि टीएचसी यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल की मात्रा 0.3% से कम होने पर यह पौधा नशे के लिए अनुपयुक्त होता है। यह भी कहा कि उन्होंने फरवरी 2024 में सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस विषय में पत्र दिया था, पर जवाब नहीं मिला। एनडीपीएस एक्ट की धारा 10 और 14 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास इस खेती के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है, जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया।

### हाई कोर्ट ने कहा- यह तुच्छ और अनुचित याचिका

हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को पूरी तरह से तुच्छ और अनुचित ठहराया। कहा कि जनहित याचिकाएं तभी मंजूर की जाती हैं, जब उनका उद्देश्य सार्वजनिक हित में हो। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत भांग की खेती तभी संभव है जब वह चिकित्सा, वैज्ञानिक या बागवानी उद्देश्यों के लिए हो।

### अनुमति समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में नशीले पदार्थों के उपयोग से बढ़ रही समस्या को देखते हुए भांग की खेती की अनुमति देना समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों में नीति निर्धारण सरकार और कार्यपालिका का विशेषाधिकार होता है, और कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।